<u>उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल</u>

<u>फौजदारी याचिका संख्या 18/2015</u>

चरण सिंह

………….. अपीलकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य

........प्रतिवादी

उपस्थित: अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता, श्री तपन सिंह। श्री अमित भट्ट वशिष्ठ, उप महाधिवक्ता ने श्रीमती ममता जोशी, राज्य/प्रतिवादी के संक्षेपण धारक, द्वारा सहायता प्राप्त की।

कोरमःमाननीय सुधांशु धूलिया, जे.____________________

माननीय रवींद्र मैथानी, जे.__________________

<u>माननीय सुधांशु धूलिया, जे. (मौखिक)</u>

सत्र विचारण संख्या 12/2010 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, लक्सर, जिला हरिद्वार द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 22.05.2015 के खिलाफ अपीलकर्ता की अपील है, जिसके तहत अपीलकर्ता को धारा 302 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया है और 10,000/- रुपये का जुर्माना और आजीवन कारावास सजा सुनाई गई है, जिसकी अदायगी न करने पर अभियुक्त /अपीलकर्ता को छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

2. मृतक अपीलकर्ता का भतीजा था और मृत्यु के समय उसकी उम्र 21 वर्ष थी। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि जब वर्ष 1994 में मृतक के पिता की मृत्यु हो गई, तो उसकी मां अपने बेटे (अर्थात् मृतक) के साथ, अपने देवर (अर्थात् अपीलकर्ता) के साथ रहने लगी, जो उस समय नाबालिग था। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अपीलकर्ता शराब का आदी है, जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता और मृतक के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता है। घटना से बमुश्किल कुछ दिन पहले, अपीलकर्ता ने परिवार की "भैंस" बेच दी थी, और अब मृतक पर भी ट्रैक्टर बेचने के लिए दबाव डाल रहा था - एक ऐसा विचार जो मृतक को अस्वीकार्य था। 7 अक्टूबर 2009 की

रात में, दोनों यानी मृतक और उसके चाचा (वर्तमान अपीलकर्ता) के बीच झगड़ा हुआ और 08.10.2009 की सुबह, मृतक आरोपी के घर में मृत पाया गया। एफआईआर शिकायतकर्ता ने दर्ज कराई थी, जो मृतक का बड़ा भाई है। यह सबसे पहले पिछले 15 वर्षों की पृष्ठभूमि देता है, जब उनके पिता का निधन हो गया, तो उनकी मां "अंगुरी देवी" और दो नाबालिग बेटे उनके पीछे रह गए और कैसे उनकी मां "अंगूरी देवी" उनके चाचा के साथ रहने लगीं। (यानी शिकायतकर्ता और मृतक के "चाचा")। इसके बाद यह कहा गया है कि शिकायतकर्ता का चाचा शराब का आदी था और परिणामस्वरूप वह उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ गंदी और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करता था। यही कारण है कि उसने खुद अपने चाचा के साथ नहीं रहने का फैसला किया था और इसके बजाय उसी गाँव में दादा-दादी के साथ रहे। वह आगे बताता हैं कि उनके चाचा की इन्हीं आदतों के कारण कुछ साल पहले उनकी मां ने आत्महत्या कर ली थी। बाद में, उसके चाचा ने उसके भाई संजीत (मृतक) को परेशान करना शुरू कर दिया और उस पर अपना ट्रैक्टर बेचने का दबाव बना रहे थे। कल रात इस विवाद और लड़ाई का तात्कालिक कारण यही था, जब उसका चाचा शराब के नशे में उसके भाई से झगड़ा कर रहा था। आज यानि 08.10.2009 को सुबह 06:00 बजे उसने गांव में सुना कि उसके भाई संजीत की हत्या कर दी गयी है। वह भागकर अपने चाचा के घर गया जहां उसे अपने भाई का शव मिला।

3. दिनांक 08.10.2009 को प्रातः 08:15 बजे थाना "लक्सर" में एफआईआर दर्ज करायी गयी। 15 बजे।उसी दिन दोपहर 12:10 बजे पंचायतनामा तैयार किया गया, जिसमें शिकायतकर्ता और गांव के अन्य लोगों के हस्ताक्षर हैं।आरोपी को घटना स्थल या गाँव में नहीं पाया गया और चार दिन बाद 12.10.2009 को लगभग 03:45 बजे "लक्सर" रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया।

4. पुलिस ने जांच के बाद इसका आरोप पत्र दाखिल किया। मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने दिनांक 25.01.2010 के आदेश द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 302 आईपीसी के तहत आरोप तय किया। इस बीच, जब आरोपी को गिरफ्तार किया गया, तो उसके खुलासा करने पर अपराध का हथियार "डंडा" और वह शर्ट भी बरामद कर ली गई, जो आरोपी ने दुर्भाग्यपूर्ण दिन पहनी हुई थी।

5. पीडब्लू 1 दीप सिंह, पीडब्लू 2 राजकुमार, पीडब्लू 5 राकेश, पीडब्लू 6 देशराज और पीडब्लू 7, वास्तव में दिनांक 7.10.2009 की घटना के गवाह थे, जब उन्होंने आरोपी और अपीलकर्ता के

बीच विवाद होते देखा था और जब अपीलकर्ता शराब के नशे में था और मृतक के साथ झगड़ा रहा था। फिर, वे सभी शत्रुतापूर्ण हो गए।

6. पीडब्लू 3 मंजीत कुमार, मृतक का भाई है। वह शिकायतकर्ता भी हैं। अपने बयानों में वह कहानी दोहराता है कि कैसे उसकी मां ने आरोपी से शादी की और उसका भाई आरोपी के घर में रहता था। वह आगे कहता हैं कि खेती का पूरा काम उसका भाई यानी मृतक ही करता था। आरोपी ने परिवार की भैंस पहले ही बेच दी थी और अब ट्रैक्टर भी बेचने की जिद कर रहा था। दिनांक 07.10.2009 की रात को, अपीलार्थी उसके भाई से झगड़ा कर रहा था और उस पर दबाव बना रहा था कि वह ट्रैक्टर बेचकर आरोपी को पैसे दे, जिस प्रस्ताव का मृतक ने विरोध किया था। पीडब्लू 3 ने दोनों के बीच लड़ाई में हस्तक्षेप किया था और दोनों को रोका था और फिर वह अपने दादा-दादी के घर गया, जो आरोपी के घर से लगभग 100 मीटर दूर है। अगले दिन, उसने शोर सुना कि उसके चाचा ने उसके भाई की हत्या कर दी है। वह अपने चाचा के घर गया, जहां उसे अपने भाई का शव मिला। साफ लग रहा था कि उसके चेहरे पर वार किया गया है। इसके बाद, उसके द्वारा उसी दिन यानी 08.10.2009 को एफआईआर दर्ज कराई गई।

7. पीडब्लू 4 योगेश कुमार पंचायतनामा का गवाह हैं। पीडब्लू 8 डॉ. मांगेराम हैं, जिन्होंने 09.10.2009 को मृतक के शरीर का पोस्टमॉर्टम किया था। इसमें मृत्यु से पूर्व तीन मुख्य चोटें हैं। उन्होंने देखा कि शरीर में चेहरे के बाईं ओर 20 x 14 सेमी की सूजन थी और पोस्टमॉर्टम के बाद पता चला कि खोपड़ी की हड्डी टूट गई थी।एक और सूजन थी, जो दाहिनी आंख पर पाई गई थी और तीसरी सूजन, कान के दाहिनी ओर थी। इन सभी सूजन में, घाव खुला नहीं था। हालाँकि, खून मृतक के नाक, मुँह और कान से निकल रहा था। उन्होंने आगे कहा कि उस समय तक अकड़न बंद हो गया था और मृत्यु का कारण मृतक के सिर पर मृत्यु पूर्व आयी चोटें थीं।

8. अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों की परिक्षण के बाद, धारा 313 सीआरपीसी के तहत आरोपी के बयान दर्ज किए गए, जहां वह अभियोजन पक्ष द्वारा किए गए प्रत्येक साक्ष्य और बयानों से इनकार करता है, लेकिन अंत में जब अदालत ने उससे पूछा कि क्या उसे कुछ कहना है तो वह कहता है - 'नहीं! मुझे कुछ नहीं कहना है।मैंने ग़लती की है और मुझे माफ़ कर दिया जाए।"

9. इन साक्ष्यों के आधार पर, विद्वान न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए सजा सुनाई।

10. दरअसल, यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में साक्ष्य की श्रृंखला पूरी होनी चाहिए और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर एक और केवल एक ही निष्कर्ष होना चाहिए, जो यह होगा कि यह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया है, किस और द्वारा नहीं। दूसरे शब्दों में, अभियोजन पक्ष पर अपना मामला साबित करने का भारी बोझ है। इसे अपना मामला उचित संदेह से परे साबित करना होगा।

11. इस मामले में सबसे पहले तो यह स्थापित तथ्य है कि आरोपी आदतन शराबी था, जो शराब की लत के कारण पैसे बर्बाद कर रहा था। साक्ष्यों में यह भी आया है कि घटना से बमुश्किल कुछ दिन पहले ही उसने शराब के लिए परिवार की भैंस बेच दी थी। खेती और कृषि में उसका योगदान न के बराबर था और खेती और कृषि से जुड़ा पूरा काम मृतक ही करता था और ऊपर से आरोपी ट्रैक्टर भी बेचने के लिए मृतक पर दबाव बना रहा था। पीडब्लू 3 के बयान में यह भी आया है कि 07.10.2009 को मृतक और अपीलकर्ता के बीच विवाद हुआ था और अपीलकर्ता ने धमकी दी थी कि यदि ट्रैक्टर नहीं बेचा गया तो वह उसे मार डालेगा। मृतक और अपीलकर्ता के बीच किसी तरह की हाथापाई भी हुई थी। शिकायतकर्ता ने मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश की और फिलहाल, लड़ाई रुक गई थी। बाद में वह घर चला गया, (क्योंकि वह अपने दादा-दादी के साथ रहता था)। 08.10.2009 की सुबह उसने अपने चाचा के घर में अपने भाई को मृत अवस्था में पाया। न तो उसके चाचा घर में मिले और न ही गाँव में। वे 6 वर्ष के थे। उसे चार दिन बाद 12.10.2009 और 03:45 बजे रेलवे स्टेशन से पकड़ लिया गया।

12. घटना के बाद किसी व्यक्ति का आचरण, विशेषकर आरोपी का, किसी आपराधिक मामले में महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। यह बहुत कम संभावना है कि चाचा उस समय घर में मौजूद नहीं होंगे जब उनके युवा भतीजे, जो उनके साथ घर में रहता था, की हत्या हो जाती है। अपीलकर्ता ने स्वीकार किया कि वह घटनास्थल पर कहीं नहीं था। उसका नाम "पंचनामा" में गवाहों में से एक के रूप में नहीं है, जो सामान्य प्रक्रिया में होना चाहिए था। चार दिन बाद उसे रेलवे स्टेशन से पकड़ लिया गया।

13. वर्तमान मामले में, अभियुक्त का आचरण यह था कि वह तुरंत अपराध स्थल से भाग गया, और 4 दिन बाद कहीं और पकड़ा गया। यह एक तथ्य है जिस पर न्यायालय को धारा 8 साक्ष्य अधिनियम, 1872 को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए। धारा 8 साक्ष्य अधिनियम, 1872 इस प्रकार है:

"8. मकसद, तैयारी और पिछला या बाद का आचरण। – कोई भी तथ्य प्रासंगिक है जो किसी मुद्दे या प्रासंगिक तथ्य में किसी उद्देश्य या तैयारी को दर्शाता या बनाता है।

किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में किसी भी पक्ष या किसी भी पक्ष के एजेंट का आचरण, ऐसे मुकदमे या कार्यवाही के संदर्भ में, या उसमें संबंधित या उससे संबंधित किसी भी तथ्य के संदर्भ में, और किसी भी व्यक्ति का आचरण, जिसके खिलाफ कोई अपराध है, किसी भी कार्यवाही का विषय है, प्रासंगिक है, यदि ऐसा आचरण किसी मुद्दे या प्रासंगिक तथ्य को प्रभावित करता है या उससे प्रभावित होता है, और चाहे वह उसके पहले या बाद में हुआ हो।

स्पष्टीकरण 1 - इस खंड में "आचरण" शब्द में बयान शामिल नहीं हैं, जब तक कि वे कथन, कथन के अलावा अन्य कृत्यों के साथ न हों और उनकी व्याख्या न करें; लेकिन यह स्पष्टीकरण इस अधिनियम की किसी अन्य धारा के तहत बयानों की प्रासंगिकता को प्रभावित नहीं करता है।

स्पष्टीकरण 2 - जब किसी व्यक्ति का आचरण प्रासंगिक हो, तो उसे या उसकी उपस्थिति और सुनवाई में दिया गया कोई भी बयान, जो ऐसे आचरण को प्रभावित करता है, प्रासंगिक होता है।"

14. यहां जो महत्वपूर्ण है वह आरोपी का सामान्य आचरण नहीं है वह आदतन शराब पीने वाला था, आदि। प्रासंगिक कारक उसका तात्कालिक आचरण है और क्या इसका अपराध से कोई संबंध है। जैसा कि हमने देखा है कि एक रात पहले ही मृतक और अपीलकर्ता के बीच झगड़ा हुआ था। तथ्य यह है कि मृतक और अपीलकर्ता एक ही छत के नीचे रह रहे थे और ट्रैक्टर कोबेचने के सम्बन्ध में लेकर दोनों के बीच कड़वाहट अन्य प्रासंगिक तथ्य हैं, जिसे घटना स्थल से अपीलकर्ता की अनुपस्थिति के साथ-साथ ध्यान में रखा जाना चाहिए।

15. इस पहलू पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय **द्वारा सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) के मामले में (2010) 6 एससीसी 1** में इस प्रकार जोर दिया गया था:

> "आपराधिक मुकदमा यह निर्धारित करने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किसी अभियुक्त के आचरण की जांच है कि क्या वह आरोपित अपराध का दोषी है। इस संबंध में, आचरण के उस हिस्से को दोषारोपण योग्य माना जा सकता है, जिसकी इस परिकल्पना के अलावा कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं है कि वह दोषी है। आचरण जो निर्दोषता की धारणा को नष्ट कर देता है उसे ही भौतिक माना जा सकता है।""

16. वर्तमान मामले में, अपराध स्थल पर आरोपी की अनुपस्थिति, जहां अन्यथा, उसकी उपस्थिति केवल प्राकृतिक होगी और अन्य परिस्थितियों का नेटवर्क और आरोपी को चार दिन बाद रेलवे स्टेशन से पकड़ा जाना, सब उसके अपराध की ओर इशारा करते हैं। यह सत्य है कि केवल आचरण ही पर्याप्त नहीं है। लेकिन इसके अन्य सबूत भी हैं।

17. इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर उसकी गिरफ्तारी के बाद, हथियार और उसके पहने हुए शर्ट की बरामदगी की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपने बयान में धारा 313 सीआरपीसी के तहत दोषारोपणात्मक बयान दिया है। हालांकि दोषसिद्धि संबंधी बयान अपने आप में दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है, लेकिन बयान के अलावा, हमने जिन अन्य साक्ष्यों का उल्लेख किया है, वे निस्संदेह साबित करते हैं कि यह कृत्य किसी और के द्वारा नहीं बल्कि अपीलकर्ता ने किया था। एकमात्र सवाल यह है कि क्या यह हत्या है, या गैर इरादतन हत्या है।

18. यह कोई पूर्व नियोजित या निर्मम हत्या नहीं थी। यह घटना आवेश में आकर मृतक और आरोपी के बीच हुई लड़ाई में हुई। ऐसा हम इस कारण से कह रहे हैं क्योंकि मृतिका पिछले 15 वर्षों से आरोपी के साथ रह रही थी और यह सबूत के तौर पर सामने नहीं आया है कि पहले किसी भी मौके पर कोई शारीरिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी या मृतक की जान लेने की कोशिश की गई थी, भले ही दोनों के बीच स्पष्ट झड़प हुई हो। जो कुछ हुआ है वह मुख्य रूप से अपीलकर्ता की आदतों यानी शराब पर उसकी अत्यधिक निर्भरता के कारण हुआ है। हालांकि, यह आरोप भी किसी सबूत से साबित नहीं हो सका है कि आरोपी की आदत से परेशान होकर उसकी पत्नी ने आत्महत्या की है। किसी भी मामले में, हमारी राय है कि सभी परिस्थितियाँ इस तथ्य की ओर इशारा करती हैं कि यह कोई पूर्व-सोच-समझकर किया गया कार्य नहीं था। नतीजतन, हम मानते हैं कि आरोपी का कृत्य आईपीसी की धारा 300 के तहत दिए गए चौथे

अपवाद के अंतर्गत आता है। क्योकि अपीलकर्ता का कृत्य "बिना सोचे-समझे अचानक झगड़े पर जुनून की गर्मी में और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना" था। मृतक के सिर पर तीन चोटें हैं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि उनके सिर पर प्रहार के कारण बाईं पार्श्विका और बाईं अस्थायी हड्डियां टूट गईं थी। खोपड़ी के बायीं ओर लगी चोट घातक प्रतीत हो रही है। अपीलकर्ता ने मृतक को दो, अधिकतम तीन, आवेश में आकर वार किये थे। माना कि किसी खतरनाक हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया है।

19. इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हम विद्वान न्यायालय के निष्कर्ष को परिवर्तित करते हैं और मानते हैं कि यह गैर इरादतन हत्या का मामला है।

20. जिन परिस्थितियों के तहत अपराध किया गया है, चोटों की प्रकृति और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, यह अदालत आगे मानती है कि यदि अपीलकर्ता को 10 साल के कठोर कारावास और 10,000/- रुपये के जुर्माने की सजा दी जाती है तो न्याय का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तदनुसार, दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई जाती है।

21. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2015 को पारित निर्णय और आदेश को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया गया है। अपीलकर्ता को 10 साल के कठोर कारावास से गुजरना होगा, जिसमें पहले से बिताई गई अवधि भी शामिल होगी।

22. निचली अदालत का रिकार्ड वापस भेजा जाए। इस निर्णय और आदेश की प्रति इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विचारण न्यायालय को भी भेजी जाएगी।

(रवींद्र मैथानी, जे.) **(सुधांशु धूलिया, जे.)**

19.02.2019